कार्यालय : सचिव, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल)

पत्रांक : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0–2019–20(1)/विज्ञप्ति/ /2020 21 दिनांक फरवरी, 2021

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed) प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2019–20 परीक्षाफल सम्बधी सूचना–

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के विज्ञापन संख्या : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0 2019–20 (1)/विज्ञप्ति–02/337-56/ 2019-20 दिनांक 06 जनवरी, 2020 के क्रम में परिषद् द्वारा 04 दिसम्बर, 2020 को आयोजित द्विवर्षीय डिप्लोमा इन एलीमेन्टरी एजूकेशन **(D.El.Ed)** प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2019–20 का परिणाम (योग्यता/चयन सूची) अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र/उत्तर पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर तैयार कर घोषित किया जा रहा **है। योग्यता/चयन सूची नितांत औपबंधिक है।** जिन अभ्यर्थियों के नाम इन सूचियों में अंकित हैं वे यह सुनिश्चित कर लें कि परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं विवरणिका में अंकित समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हों। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र/उत्तर पत्रक में **त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्य अंकित करने के कारण उसका नाम चयन सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं होगी।** प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर काउंसिलिंग का आयोजन किया जायेगा। काउंसिलिंग के समय मूल अभिलेखों से अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाओं का मिलान कर जनपद आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा काउंसिलिंग हेतु तिथियों का निर्धारण कर इसकी सूचना यथा समय चयनित अभ्यर्थियों को दी जायेगी।

चयनित अभ्यर्थियों की सूची एवं विस्तृत दिशा–निर्देश उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) की वेबसाइट **www.ubse.uk.gov.in** में **DEPARTMENTAL EXAM** कॉर्नर पर उपलब्ध है।

सचिव
उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्
रामनगर, नैनीताल

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद्, रामनगर (नैनीताल)

पो0ऑ0 – रामनगर (नैनीताल), उत्तराखण्ड, पिन कोड–244715

फोन नं0: (05947)-252276, 254275, फैक्स नं0 : (05947)-255021, 252276

email : **secy-ubse-uk@nic.in** वेबसाइट : **www.ubse.uk.gov.in**

द्विवर्षीय डी0एल0एड0 (D.El.Ed.) प्रशिक्षण हेतु आयोजित प्रवेश परीक्षा 2019–20 परीक्षाफल

शासनादेश संख्या : 433/XXIV(1)/2019-02/2018 शिक्षा अनुभाग–I (बेसिक) देहरादून, दिनांक 16 अगस्त 2019 एवं शासनादेश संख्या : 1028/ XXIV(1)/ 019-02/2018 शिक्षा अनुभाग–I (बेसिक) देहरादून, दिनांक 21 अक्टूबर 2019 में वर्णित प्राविधानों के क्रम में एवं शासनादेश संख्या : 1230/XXIV-A-1/2020-02/2018 TC शिक्षा अनुभाग–I (बेसिक) देहरादून, दिनांक 11 नवम्बर 2019 के क्रम में प्रवेश परीक्षा 2019–20 का आयोजन दिनांक 04 दिसम्बर 2020 (शुक्रवार) को किया गया। इस परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद् रामनगर (नैनीताल) के द्वारा अपने पत्र संख्या : उ0वि0शि0प0/डी0एल0एड0 2019–20 (1)/विज्ञप्ति–2/337–56/2019–20 दिनांक 06 जनवरी 2020 (पताका : **'घ'**) के द्वारा निर्धारित योग्यताधारी आवेदकों से दिनांक 04 फरवरी 2020 तक आवेदन–पत्र आमंत्रित किए गए।

अपर निदेशक, एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड के पत्रांक : SCERT/ 5162/शि.शि.–सेवापूर्व/दो–I(06)/2020–21 दिनांक 13 जनवरी 2021 के क्रम में दिनांक 04 दिसम्बर 2020 को आयोजित डिप्लोमा इन एलीमैन्टरी एजूकेशन (D.El.Ed.) प्रवेश परीक्षा 2019–20 का परिणाम (योग्यता/चयन सूची) अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में अंकित की गई सूचनाओं के आधार पर औपबंधिक रूप से तैयार कर घोषित किया जा रहा है। **योग्यता/चयन सूची नितांत औपबंधिक है।** परिषद् द्वारा, अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाओं का सत्यापन नहीं किया गया है। जिन अभ्यर्थियों के नाम सूची में अंकित हैं वे यह सुनिश्चित कर लें कि वे परीक्षा हेतु जारी शासनादेश एवं इस परीक्षा हेतु जारी **'प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा (DElEd) प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20 : सूचना विवरणिका' (Two Year DElEd Entrance Exam 2019-20 :INFORMATION BROCHURE)** में अंकित समस्त अर्हताएं पूर्ण करते हों। किसी अभ्यर्थी के द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र/उत्तर–पत्रक में **त्रुटिपूर्ण/गलत तथ्य अंकित करने के कारण उसका नाम योग्यता/चयन सूची में आने की स्थिति में सम्बन्धित अभ्यर्थी का परीक्षाफल निरस्त कर उसके विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जाएगी और इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वंय होगी।**

विज्ञान एवं विज्ञानेत्तर वर्ग में निम्न 06 उपवर्गों में योग्यता/चयन सूचियां जारी की गयी हैं–

क्र0 सं0	वर्ग	उपवर्ग	कुल उपलब्ध/चयनित स्थान (सीटें)
1	विज्ञान वर्ग (कुल स्थान 325)	**1.** भौतिक एवं गणित विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	**130** (विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 40 प्रतिशत)
		2. रसायन विज्ञान, जन्तु एवं वनस्पति विज्ञान विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	**130** (विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 40 प्रतिशत)
		3. उक्त विषयों से इतर अन्य विषयों से विज्ञान स्नातक योग्यताधारी	**65** (विज्ञान वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 20 प्रतिशत)
2	विज्ञानेत्तर वर्ग (कुल स्थान 325)	**4.** अंग्रेजी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	**49** (विज्ञानेत्तर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 15 प्रतिशत)
		5. न्यूनतम इंटर स्तर पर संस्कृत सहित, हिन्दी मुख्य विषय के साथ स्नातक योग्यताधारी	**49** (विज्ञानेत्तर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 15 प्रतिशत)
		6. अन्य मानविकी वर्ग के अन्य विषयों से स्नातक योग्यताधारी	**227** (विज्ञानेत्तर वर्ग में उपलब्ध स्थानों का 70 प्रतिशत)

अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार उनके लिये निर्धारित संख्या के अन्तर्गत उक्तवत 06 योग्यता/चयन सूची तैयार की गयी। अभ्यर्थियों द्वारा प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंको के अवरोही क्रम में योग्यता/चयन सूची तैयार की गयी। योग्यता/चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के अंक बराबर अंक प्राप्त होने की स्थिति में **(i)** ज्येष्ठ आयु वाले अभ्यर्थी को योग्यता/चयन सूची में

ऊपर रखा गया, यदि आयु भी बराबर हों तो **(ii)** आयु बराबर होने पर उनके नाम वर्णमाला (अंग्रेजी) क्रम वाले अभ्यर्थी को योग्यता/चयन सूची में ऊपर रखा गया है।

प्रवेश हेतु राज्य स्तर पर एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा काउँसिलिंग का आयोजन किया जाएगा। काउँसिलिंग के समय मूल अभिलेखों से अभ्यर्थी द्वारा ओ0एम0आर0 आवेदन–पत्र में अंकित की गई सूचनाओं का मिलान/सत्यापन कर जनपद आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। **काउँसिलिंग हेतु अभ्यर्थियों को एस0सी0ई0आर0टी0 उत्तराखण्ड, देहरादून द्वारा यथा समय सूचना दी जाएगी।** कॉउसिलिंग **में प्रतिभाग करने से पूर्व चयनित अभ्यर्थी अनिवार्यतः सुनिश्चित कर लें कि–**

1. **01 जुलाई 2020 को उनकी आयु 19 वर्ष से कम तथा 30 वर्ष से अधिक न हो,** अर्थात अभ्यर्थी की जन्मतिथि 01 जुलाई 1990 से पूर्व एवं 01 जुलाई 2001 के बाद की न हो। भूतपूर्व सैनिकों एवं आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग के शासनादेशों के अनुरूप अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जायेगी। **न्यूनतम आयु सीमा में किसी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।**
2. विज्ञप्ति जारी होने की तिथि (06 जनवरी 2020) **से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित (चयनित उपवर्ग के अनुसार निर्धारित विषय/विषयों) में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गयी हो।**
3. अभ्यर्थी, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या : 59/XXX-2/19/01(17)/2012 दिनांक 07 फरवरी, 2019 द्वारा संशोधित, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य/वांछनीय अर्हता (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2019 के द्वारा संशोधित नियम 4 उपनियम (2) "उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत तथा लोक सेवा आयोग सेवा की परिधि के बाहर समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती हेतु आवेदन करने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करता हो (इस परीक्षा हेतु जारी '**प्रारंभिक शिक्षा में दो वर्षीय डिप्लोमा** (DElEd) **प्रशिक्षण हेतु प्रवेश परीक्षा 2019–20 : सूचना विवरणिका' (Two Year DElEd Entrance Exam 2019-20 : INFORMATION BROCHURE) के बिन्दु संख्या 2 (क)** के अनुसार)
4. आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सम्बन्धित श्रेणी (यथा अनुसूचित जाति, जन जाति, पिछड़ी जाति, आर्थिक रूप से कमजोर) का सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो।
5. क्षैतिज श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों की स्थिति में–
   - स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित श्रेणी **(DFF)** में चयनित अभ्यर्थियों के पास सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत **प्रमाण–पत्र** हो, जिनसे उनके **स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का आश्रित** होने की पुष्टि हो सके।
   - विकलांगता **(PH)** श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास **दिव्यांगता (40 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता) का** सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र हो।
   - भूतपूर्व सैनिक – स्वंय **(Ex. Sol. Self)** श्रेणी में चयनित अभ्यर्थियों के पास सेना से सेवानिवृत्ति संबंधी अभिलेख (कमांडिग ऑफिसर एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रदत्त) हों जिनसे उनके भूतपूर्व सैनिक होने की पुष्टि हो सके। साथ ही सुनिश्चित कर लें कि वे निर्धारित आयु सीमा के अंतर्गत आते हों। विज्ञ हों कि **इस परीक्षा में भूतपूर्व सैनिक का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त कर्मियों को देय है उनके आश्रितों को नहीं।**
6. लम्बवत् तथा क्षैतिज दोनों आरक्षित श्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड का अधिवासी होना आवश्यक है।

काउँसिलिंग में अपने अभ्यर्थन से सम्बन्धित मूल अभिलेख प्रस्तुत न कर पाने की स्थिति में संम्बन्धित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, एवं प्रतीक्षा सूची से वरीयता क्रम में अभ्यर्थी के चयन की कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का कोई दावा मान्य नहीं होगा।

(सी0पी0 रतूड़ी)	**(बी0एम0एस0 रावत)**	**(डॉ0 नीता तिवारी)**
उप सचिव	अपर सचिव	सचिव
उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।	उ0वि0शि0प0 रामनगर, नैनीताल।